

## विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र० 220 से संबंधित जानकारी

## परिशिष्ट-1

क्र०	नाम प्राचार्य	कार्यरत संस्था	आर्थिक अनियमितता से संबंधित प्रकरण का विवरण	अपचारी के विलुद्ध की गई कार्यवाही	पुलिस में दर्ज एक आई. आर. का विवरण
1	श्री समीउल्ला खान	शा.कमला नेहरू कन्या उ.मा.वि. जावरा जिला रतलाम	संबंधित ने शा.कमला नेहरू कन्या उ. मा.वि. जावरा में प्राचार्य रहते हुए रु० 31 लाख से अधिक के अपराधिक तरीके से आहरण में दोषपूर्ण भूमिका अदा की और आहरण संवितरण अधिकारी के रूप में गबन जैसे अपराध में सहयोग किया।	विभाग के द्वारा दिनांक 30.05.2015 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश क्र. /8855/एफ-1-22/15/वि-2, दिनांक 20.10.15 द्वारा निलंबित किया गया।	थाना जावरा जिला रतलाम में दिनांक 30.05.2015 को धारा-409/420/468/34 में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
2	श्री लक्ष्मण सिंह मईडा	शास.बालक उ. मा.वि.आलोट जिला रतलाम	दिनांक 28.03.2017 को विभिन्न देयकों से रु० 90.31 लाख का फर्जी आधार पर बनाकर आहरण किया और भण्डार नियमों की अवहेलना करके निजी हितों को पूरा करने के लिए गुपचुप धन आहरण की कार्यवाही की गई।	विभाग के द्वारा दिनांक 06.04.2017 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई। आयुक्त, लोक शिक्षण के आदेश क्र०/1875-76, दिनांक 18.08.2017 के द्वारा निलंबित किया गया है।	पुलिस के द्वारा धारा-420 / 467 / 468 / 471 / 409 के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।



आयुक्त, शिक्षण विभाग,  
राज्य प्रदेश शासन,  
राज्य शिक्षा विभाग  
(कसं - 4)